

आखिरी जांच: 26 सितंबर 2026

विजाभज, इमाव और विमाप्र विद्यार्थियों के लिए केंद्र की सुधारित मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली लागू

अधिकृत शीर्षक: राज्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याबाबत

विभाग: इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार

शासन निर्णय क्रमांक: शिष्यवृत्ती-2023/प्र.क्र.83/शिक्षण

तारीख: 20 जून 2025

राज्य ने विजाभज, इमाव और विमाप्र विद्यार्थियों की मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार की 5 मई 2022 की सुधारित मार्गदर्शक सूचनाएँ लागू की हैं। अब तक राज्य ये छात्रवृत्तियाँ केंद्र की 1998 की सूचनाओं के अनुसार देता था। योजना अब केंद्र की छत्र योजना PM-YASASVI के तहत चलेगी और खर्च 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य उठाएगा।

मुख्य बातें

- मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति सरकारी स्कूलों की कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए है। शैक्षणिक भत्ता सालाना 4,000 रुपये है। वैध जाति प्रमाणपत्र, कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति और आधार प्रमाणीकरण जरूरी हैं।
- मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है। यह एक माता या पिता के दो बच्चों तक मिलती है और लड़कियों पर यह सीमा लागू नहीं है। लाभार्थियों में कम से कम 5 प्रतिशत दिव्यांग और 30 प्रतिशत लड़कियाँ होनी चाहिए।
- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए सभी स्रोतों से पारिवारिक आय की सीमा सालाना 2.50 लाख रुपये है। संबंधित राज्य विभागों की राय लेकर केंद्र की सूची के पाठ्यक्रम मान्य होंगे और योजना MahaDBT पोर्टल पर चलती है।
- विद्यार्थी उसी कक्षा के लिए दूसरी छात्रवृत्ति नहीं ले सकता। झूठा दावा मिलने पर छात्रवृत्ति रद्द, राशि की वसूली और स्थायी अपात्रता होगी।
- इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए 28 फरवरी तक वार्षिक योजना बनाता है। राज्य स्तर पर संयुक्त संचालक और जिला स्तर पर जिला सहायक संचालक शिकायत निवारण अधिकारी हैं।

इसका असर किन पर हो सकता है?

महाराष्ट्र के विजाभज, इमाव और विमाप्र वर्ग के कक्षा 9 और 10 (मैट्रिकपूर्व) तथा मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी और उनके अभिभावक।

क्या बदला?

- केंद्र की 5 मई 2022 की सुधारित सूचनाएँ राज्य की पहले की केंद्र की 1998 की सूचनाओं का स्थान लेती हैं।
- योजना PM-YASASVI छत्र योजना के तहत 60:40 केंद्र और राज्य हिस्सेदारी से चलेगी। इसे 23 जून 2023 के शासन निर्णय और 29 अप्रैल 2025 के मंत्रिमंडल निर्णय से मंजूरी मिली।
- परिवार की 2.50 लाख रुपये सालाना आय की सीमा और मैट्रिकपूर्व लाभार्थी चुनने की प्राथमिकता के नियम बताए गए हैं।

आपको क्या करना चाहिए?

Labh Lo पर OBC, VJNT और SBC छात्रवृत्ति के योजना पेज पढ़ें और MahaDBT पोर्टल पर आवेदन करें। आय प्रमाण या जाति प्रमाणपत्र को लेकर शंका हो तो अपने स्कूल या कॉलेज के छात्रवृत्ति अधिकारी से पूछें।

अधिकृत PDF: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3d0ddf516f6050bc8a03ca634498843e4/uploads/2025/08/20250808298002276.pdf>

Labh Lo पेज: <https://labhlo.in/hi/gr/central-pre-post-matric-scholarship-guidelines-vjnt-obc-sbc-2025-06-20/>



Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

Labh Lo आसान सार देता है। अधिकृत शासन निर्णय ही अंतिम दस्तावेज़ है। कुछ करने से पहले अधिकृत PDF पढ़ें।